संख्या : 92/2016/1265/छप्पन-2016-64/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 21 नवम्बर, 2016**

विषय : नये क्रय किये गये वायुयान किंग एयर बी 250 (मॉडल बी 200जीटी) पर श्री सुरेश कुमार, अभियंता को विदेश में प्रशिक्षण कराये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2934/ना0उ0वि0/इंजी/एफ-2/2016, दिनांक 07-10-2016 एवं पत्र संख्या- 3383/ना0उ0वि0/इंजी/एफ-2/2016, दिनांक 18-10-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में श्री सुरेश कुमार, अभियंता को राजकीय वायुयान किंग एयर -250 (माडल बी-200-जी0टी0) पर प्रशिक्षणदाता कम्पनी मैसर्स फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल की विचिटा यू0एस0ए0 स्थित ट्रेनिंग एकेडमी में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर दिनांक 28-11-2016 से 12-12-2016 तक (यात्रा तिथियों को सम्मिलित करते हुए) बी-200 सीरीज मेन्टीनेन्स इनीशियल एण्ड डिफरेन्स ट्रेनिंग हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में दी गयी स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन है :-

(1) उपर्युक्त विदेश प्रशिक्षण की अवधि में उक्त अभियंता को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-दो से चार के मूल नियम 9(6बी)(1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जायेगा तथा उक्त अवधि में उन्हें मूल नियम-20 के अन्तर्गत वही वेतन व भत्ता देय होगा, जो उन्हें अन्यथा मिलता, यदि उन्हें विदेश प्रशिक्षण आदि के लिए न भेजा जाता।

(2) प्रशिक्षण से पूर्व अथवा बाद में सम्बन्धित अभियन्ता को कोई कार्य भार ग्रहण काल नहीं दिया जायेगा, परन्तु विदेश में गन्तव्य स्थान पर जाने, वहां से भारत वापस लौटने में व्यतीत हुआ उचित समय प्रशिक्षण/विदेश यात्रा काल का अंश माना जायेगा।

(3) उक्त अभियंता को भारत से यू0एस0ए0 एवं भारत की वापसी की हवाई यात्रायें नियमानुसार उन्हें अनुमन्य श्रेणी में करनी होगी और उन्हें वही यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, जो भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों एवं आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(4) उक्त अभियंता को अपनी तैनाती के स्थान से भारत में हवाई अड्डे तक जाने तथा वापसी की यात्रा में भारत के हवाई अड्डे से अपनी तैनाती के स्थान तक के लिए की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में उन पर लागू होने वाले नियमों के अधीन सामान्य शर्तों एवं दरों पर ग्राह्य यात्रा भत्ता देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) विदेश में किये गये अवस्थान (हाल्ट) और वहां की यात्राओं के लिए उन्हें दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता उन दरों पर देय होगा, जिन दरों पर भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों/आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(6) विदेश यात्रा हेतु स्वीकृत धनराशि का समायोजन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गये विदेश यात्राओं से सम्बन्धित शासनादेशों के तहत किया जायेगा। आहरित धनराशि के अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) विदेश यात्राओं/फर्म को भुगतान की गई धनराशि एवं स्वीकृत धनराशि के समायोजन का प्रमाण-पत्र शासन को भी प्रेषित किया जायगा।

(8) प्रशिक्षु अभियंता को प्रशिक्षण पर भेजने से पूर्व उनसे यथानियम बाण्ड निष्पादित कराया जायेगा।

3- उक्त विदेश यात्रा पर संनिहित व्यय की स्वीकृति पृथक से जारी की जा रही है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: जी-1/427/दस-2016, दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 92/2016/1265(1)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अभियन्ता।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in